इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184]　　　　भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 मार्च 2021—चैत्र 9, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2021

क्र. 4884-162-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 मार्च, 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०२१

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२१

[दिनांक २६ मार्च, २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ३० मार्च, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२१ है.

अनुसूची का संशोधन. २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ३७ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

अनु-क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
''३८	एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह	ओजस्विनी समदर्शी न्यास, १०३ वसुंधरा अपार्टमेंट, सुरेन्द्र पैलेस, होशंगाबाद रोड, भोपाल	मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास	एकलव्य विश्वविद्यालय ओजस्विनी नगर, सागर रोड, दमोह	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३९	श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर	श्री अरबिन्दो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, इन्दौर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर-उज्जैन स्टेट हाइवे, एमआर-१० रोड के पास, सांवेर रोड, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४०	महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर	श्री आर. एस. एजुकेशनल सोसायटी, जबलपुर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	महाकौशल विश्वविद्यालय, ग्राम ऐठाखेड़ा चरगवाँ रोड, पोस्ट तिलवारा, जबलपुर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति. ३. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०२० (क्रमांक १४ सन् २०२०) तथा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ११ सन् २०२१) एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

(२) उक्त अध्यादेशों के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेशों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2021

क्र. 4884-162-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 9 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 9 OF 2021

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2021

[Received the assent of the Governor on the 26th March, 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 30th March, 2021.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-second year of the Republic of India as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam, 2021.

Amendment of Schedule. 2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 37 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:-

S. No.	Name of Private university	Name of sponsoring body	Mode of forming sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"38.	Eklavya University Damoh	Ojaswini Samdarshi Nyas, 103, Vasundhara Apartment, Surendra Palace, Hoshangabad Road, Bhopal.	Public Trust registered under the Madhya Pradesh Public Trust Act, 1951 (No. 30 of 1951)	Eklavya University, Ojaswini Nagar, Sagar Road, Damoh	Whole of Madhya Pradesh
39.	Sri Aurobindo University, Indore	Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences, Indore	Society registered under the Madhya Pradesh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	Sri Aurobindo University, Indore-Ujjain State Highway, Near MR-10 Road, Sanwer Road, Indore	Whole of Madhya Pradesh
40.	Mahakaushal University, Jabalpur	Shri R.S. Educational Society, Jabalpur	Society registered under the Madhya Pradesh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973	Mahakaushal University, Village Anthakheda, Chargawan Road, Post Tilwara, Jabalpur	Whole of Madhya Pradesh.".

Repeal and saving. 3.(1) The Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesh, 2020 (No. 14 of 2020) and the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhyadesh, 2020 (No. 11 of 2021) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinances, anything done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.